न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्र कुमार RAS

अनुवान अब्दुलसत्तार आदि **बनाम** राजस्थान सरकार व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या 263 वर्ष 2024

निर्णय दिनांक : – 17.01.2025

1. अब्दुलसत्तार पुत्र जाफर हुसैन जाति व्यापारी निवासी तारानगर जिला चूरू
2. बाबूहुसैन पुत्र जाफर हुसैन जाति व्यापारी निवासी तारानगर जिला चूरू
3. मोहम्मदलतीफ पुत्र जाफर हुसैन जाति व्यापारी निवासी तारानगर जिला चूरू
4. रिजवानहुसैन पुत्र जाफर हुसैन जाति व्यापारी निवासी तारानगर जिला चूरू
5. सलीममोहम्मद पुत्र जाफर हुसैन जाति व्यापारी निवासी तारानगर जिला चूरू

– प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर
2. श्रीमंदिर तकिया पीर तारानगर जरिये व्यवस्थापक समून पुत्र रजाक निवासी वार्ड नं. 14 ख्याली मोहल्ला तारानगर।

– अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री पवन कुमार योगी एडवोकेट वास्ते प्रार्थीगण।**
2. **राजपैरोकार तहसीलदार तारानगर वास्ते अप्रार्थी संख्या 1**
3. **श्री धर्मपाल स्वामी वास्ते अप्रार्थी संख्या 2**

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण की ओर से अनेक्श्चर "ए" के संलग्न कर प्रस्तुत किये गये इस प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का एक खेत ख.नं. 542 तादादी 3.7303 रोही कस्बा तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू स्थित है। इस खेत का रास्ता सड़क तारानगर से सात्यूं से फंटकर ख.नं. 528 रोही कस्बा तारानगर में से होकर जाता हैं। खसरा नम्बर 528 की भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमंदिर तकिया पिर तारानगर के नाम अभिलिखित चली आ रही हैं। उपर्युक्त भूमि का इन्तजाम (व्यवस्थापन) देखरेख व कब्जाकाश्त उक्त व्यवस्थापक समून निवासी तारानगर द्वारा किया जा रहा है। तारानगर से सात्यूं जाने वाली सड़क पर काफी ट्रेफिक है। प्रार्थीगण कस्बा तारानगर के निवासी हैं। वे अपने उक्त खेत में पहुंचने के लिए पहले इस सड़क से चलते है। आगे अप्रार्थी संख्या 02 के खेत ख.नं. 528 में फंटकर संलग्न अनेक्श्चर "ए" में दर्शाये गये सदामत के रास्ते से अपने खेत ख.नं. 542 तादादी 3.7303 रोही कस्बा तारानगर में प्रवेश करते हैं। यह रास्ता सदामत से आवागमन का रहा है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन करते है। उनके आवागमन का यही एकमात्र रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा इस खेत का अन्य कोई रास्ता कटान या गैर कटान नहीं है। उक्त रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं।

प्रार्थीगण अनेक्श्चर "ए" में दर्शाये गये उक्त रास्ता से अपने हमेशा से आवागमन कर रहे है। उनके आवागमन का यही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन कर सके। अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 528 में से अनेक्श्चर "ए" में बरंग लाल से दर्शाये गये 30 फीट चौड़े रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

कराने की आवश्यकता है जो अनेक्चर "ए" में बरंग लाल दर्शाया गया हैं। दावा 251ए में प्रावधान है कि रास्ता सबसे छोटा सुगम होने के साथ–साथ ऐसा होना चाहिए कि सबसे कम खातेदार व रकबा प्रभावित हो। यह भी ध्यान रखा जाये कि प्रतिपक्ष के खेत का विभाजन न हो। अर्थात रास्त बीचोबीच न देकर सींव के सहारे सहारे दिया जाये। लेकिन प्रकरण हाजा में स्थिति अलग है। सभी सींवों में ऊंचे–ऊचे टीले हैं। अनेक्चर "ए" में दर्शाया गया रास्त ही सुगम है। सुगम होने के कारण ही यह सदामत से जैरकार है। इसीलिए खसरा नं. 528 के मध्य से रास्ते की मांग की गई है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज न होने के कारण अप्रार्थीगण आवागमन में बाघा उत्पन्न करते है। प्रार्थीगण ट्रैक्टर ट्रॉली, ऊंटगाड़ा लाने ले जाने से मना करते है। कहते है कि आपके खेत के लिए सिर्फ पगडंडी है। ट्रैक्टर व ऊंटगाड़ा का रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने अपनी बोई फसल खरीफ दिनांक 08.11.2024 को निकाली ट्रेक्टर ट्राली से लाने लगे तो अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य 3, 4 सदस्यों ने ट्रेक्टर ट्राली मौके पर नहीं जाने दी। प्रार्थीगण को अपनी फसल सिर पर ढोकर लानी पड़ी। इसलिए प्रार्थीगण के लिए उक्त रास्ते को कटानी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम करवाना आवश्यक हो गया है तथा प्रार्थीगण को रास्ता कटवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वादाधार हासिल है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 को स्वयं कहा व अन्य से भी कहलवाया कि वह भूमि के बदले भूमि लेकर या डीएलसी दर से दुगुनी राशि लेकर कटानी रास्ता कायम करा दें तो वे दिनांक 10.11.2024 को ऐसा करने से साफ इंकार हो गये। इसलिए उक्त तारीख प्रार्थना पत्र पेश करने का वाद कारण है। रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को अपने खेत में ट्रैक्टर, ऊंटगाड़ा व अन्य वाहन ले जाने में परेशानी रहती है इसलिए प्रार्थीगण को अपने खेत में आवागमन, घास–फूस व फसल लाने तथा खेती सुधार के लिए अति व्यस्त सड़क से फंटकर आवागमन के लिए 30 फीट का रास्ता अनेक्चर "ए" में बरंग लाल से दिखाया गया दिलाया जाये। आदि–आदि।

इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट. मय अनेक्चर "ए" पेश कर रास्ता कायम कराने का अनुतोष चाहा।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 का वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री धर्मपाल स्वामी ने पेश किया जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चाहा गया रास्ता सदा मत का नही है न उन्होने इस रास्ता से स्थाई रूप से आवागमन किया है। प्रार्थीगण के पूर्वज कभी उतरी व कभी दक्षिण सींव के सहारे–सहारे पैदल व केवल ऊंट के साथ आवागमन करते थे। पिछले तीन–चार साल से ये अनेक्चर ए में दर्शाये गये रास्ते से हठधर्मिता पूर्वक आवागमन कर रहे है। इस प्रकार का आवागमन करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 के खेत से चाहा गया रास्ता कायम करने से उसकी खातेदारी भूमि कम हो जायेगी तथा उसके खेत के टुकड़े हो जायेगें जिससे काश्त में परेशानी होगी। प्रार्थी का सारा खेत रेतिला है। सींव ऊंची जरूर है लेकिन ट्रेक्टर (करावा से) से आवागमन योग्य किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 02 ने कभी भी प्रार्थीगण को आवागमन से नहीं रोका। महज प्रार्थना पत्र को रंग देने के लिए उक्त अंकित किये गये है। प्रार्थीगण को रास्ता कटवाने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 02 को कभी भी रास्ता कटानी करवाने हेतु नहीं कहा। अतः दिनांक 10.11.2024 को इंकार होने का तथ्य मनगढ़त है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने जाहिर किया कि भूमि के बदले भूमि प्रतिकर के रूप में दी जाने से राजहित प्रभाहित नहीं होता।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिवचनों, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त गिरदावर व पटवार हल्का की फर्द मौका दिनांक 31.12.2024 के अनुसार वर्तमान में खसरा नं. 528 में से चाहा गया रास्ता उपयोग में आ रहा है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं लगता। चाहा गया रास्तें के अलावा कम दूरी का

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

रास्ता नहीं बनता है। उक्त फर्द मौका बनाते वक्त पक्षकारान उपस्थित रहें हैं। फर्द मौका में उपस्थिती के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त फर्द मौका के विरूद्व कोई आपत्ति भी प्राप्त नहीं हुई है।

अब मेरे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए तो नहीं है। प्रार्थीगण के जोत में पहुंच का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं ?

प्रार्थीगण ने विवादित भूमि खसरा नं. 528 में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत अनेक्चर "ए" में बरंग लाल रंग से दर्शाए अनुसार रास्ता कायम करवाना चाहा है तथा स्वयं की जोत में आवागमन का कोई रास्ता न होना जाहिर किया है। प्रार्थीगण ने उक्त रास्ता के बदलें भूमि या डीएलसी दर का दौगुना राशि देने में सहमति जाहिर की है। अप्रार्थीगण ने वांछित रास्ता मौके पर रास्ता जैरकार होना स्वीकार किया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत गिरदावर व पटवार हल्का की फर्द मौका दिनांक 31.12.2024 से यह प्रमाणित है कि प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा वांछित रास्ता प्रार्थीगण की जोत का निकटतम रास्ता है। जिससे विचारणीय बिन्दु सकारात्मक पाये जाते है। साथ ही मैं समझता हूँ कि भूमि के बदले भूमि से बढ़कर कोई प्रतिकर नहीं है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप) विभाग का परिपत्र संख्या प.2(63)राज–9/2014 जयपुर, दिनांक 29.09.2024 की प्रति प्रस्तुत की जो इस प्रकरण पर चस्पा होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बरुवे अनेक्चर "ए" व फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 31.12.2024 स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त है।

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बरुयें अनेक्चर "ए" व तहसीलदार तारानगर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 31.12.2024 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि रोही कस्बा तारानगर के खसरा नं. 542 तादादी 3.7303 हैक्ट. में आवागमन हेतु कस्बा तारानगर के खसरा नं. 528 तादादी 1.8462 हैक्टेयर में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत अनेक्चर "ए" में बैरंग लाल से दर्शाई गई 30 फुट चौडी भूमि राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज की जावें तथा इसका अलग खसरा नम्बर कायम किया जावें। यह रास्ता सार्वजनिक उपयोग का रहेगा। इसके बदले में खसरा नं 528 की सींव से चिपती समान क्षेत्रफल भूमि श्रीमंदिर तकिया पीर तारानगर के नाम खातेदारी दर्ज की जाये तथा इसका भी अलग खसरा नम्बर कायम किया जाये। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत अनेक्चर "ए" तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेंगें।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)